न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्रीमति सुनिता यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 — 200 / 2021 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 24.09.2021	तारीख फैसला 03.01.2023

उनवान

1— राधेश्याम पुत्र मोहन लाल ब्राह्मण निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
2— मु. शान्ता देवी पत्नी राधेश्याम ब्राह्मण निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
3— मु. लक्ष्मी देवी पत्नी सुभाषचन्द्र ब्राह्मण निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा

—प्रार्थीगण

बनाम

1—अमीरदीन पुत्र अहमद मुसलमान निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
2— अलादीन पुत्र अहमद मुसलमान निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
3— मोजुद्दीन पुत्र अहमद मुसलमान निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
4— रेंजर वन विभाग शाहपुरा
5— तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए)राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति — श्री राहुल पारीक :— अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज. काश्तकारी अधिनियमके तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :— प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की भूमि आराजी नम्बर 3817 रकबा 0.20 है0, 3818 रकबा 0.90 है0, 3824 रकबा 0.68 है0 कुल किता 3 रकबा 1.78 है0 ग्राम ढीकोला एवं आराजी नम्बर 56 / 803 रकबा 0.07 है0, 66 / 799 रकबा 0.04 है0, 67 रकबा 0. 20 हैद्ध, 68 रकबा 1.54 है0 कुल किता 4 रकबा 1.85 है0 ग्राम नौगांवा पटवार हल्का ढीकोला तहसील शाहपुरा में स्थित है। यह है कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 01 में वर्णित उप पेरा नं. अ व ब की आराजियात बिलकुल पास पास होकर एक ही चक है तथा उक्त आराजियात में आने जाने हेतु प्रार्थीगण विगत कई वर्षो से विपक्षीगण की आराजियात की मेर से होकर ही आ जा रहे थे एवं अपने कृषि उपकरण भी इसी रास्ते से ला ले जा रहे थे लेकिन अभी कुछ समय से विपक्षीगण नम्बर 1 लगायत 3 ने प्रार्थीगण जिस रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षो से करते चले आ रहे थे उसको कांटो की बाड़ लगाकर बंद कर दिया और उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है इसलिए प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आने जाने हेतु 20 फीट के रास्ते की मांग कर रहे है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजियात 3825 रकबा 0.12 है0, 3826 रकबा 0.32 है0, 3830 रकबा 0.30 है0 कुल किता 3 रकबा 0.74 है0 की मेरियों से होकर ही अब तक आ जा रहे थे एवं उक्त मेरियों से 20 फीट तक का रास्ता अपनी आराजियात तक प्राप्त करना चाहते है। प्राथ्रीगण पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात में आने जाने हेतु वन विभाग के बीड़ से आगे विपक्षीगण की पेरा सं0 3 में वर्णित आराजियात की मेरियों से 20 फीट का रास्ता दिलाये जाने का आदेश बक्षावें इस हेतु प्रार्थीगण आदेशानुसार डीएलसी रेट जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण पैरा सं0 1 में वर्णित अपनी आराजियात में आने जाने हेतु विगत 40 वर्षो से विपक्षीगण नम्बर 1 लगायत 3 की आराजियात की मेरियों से उपयोग उपभोग करने से

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रार्थीगण का प्राइमा फेसी केस है सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षीगण की आराजियात की मेर से होकर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं प्रार्थीगण की आराजियात बिना काश्त के रह जायेगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थीगण की आराजियात जो प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 01 में वर्णित है पर पहुंचने हेतु विपक्षीगण की पैरा सं0 03 में वर्णित आराजियात की मेर से 20 फीट का रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें। रास्ते हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार डीएलसी रेट जमा कराने को तैयार है।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 11.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 होने से नियमित न्यायालय का संचलान नहीं होने से दिनांक 07.06.2022 को विपक्षीगण को तारीख पेशी हेतु नोटिस जारी किये गये। एवं तहसीलदार शाहपुरा को मौका रिपोर्ट एवं डीएलसी रिपोर्ट हेतु लिखा गया। दिनांक 26.07.2022 को तारीख पेशी हेतु जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए विपक्षी संख्या 01, 4 बावजूद नोटिस तामिल के उपस्थित नहीं। विपक्षी सं0 2 व 3 उपस्थित। दिनांक 03.01.2023 को तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक दिनांक 1014 दिनांक 28.12.2022 से नायब तहसीलदार ढीकोला से प्राप्त डीएलसी रिपोर्ट, एवं भू0अ0अभिलेख निरीक्षक ढीकोला द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीया सं0 02 मय अधिवक्ता के उपस्थित जिन्होंने प्रकरण में मौका रिपोर्ट एवं डीएलसी रिपोर्ट प्राप्त होने से बहस हेतु निवेदन किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया विपक्षीगण 1, 4 बाावजूद सूचना के नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हुए एवं विपक्षीगण सं0 2, 3 दिनांक 26.07.2022 को पेशी पर उपस्थित हुए किन्तु उसके पश्चात न तो विपक्षीगण उपस्थित है न ही उनकी तरफ से कोई प्लीडर उपस्थित हुआ है। अतः विपक्षीगण सं0 01 लगायत 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। एकतफा बहस अभिभाषक विपक्षीगण की सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 01 में वर्णित आराजियात पर जाने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजियात 3825 रकबा 0.12 है0, 3826 रकबा 0.32 है0, 3830 रकबा 0.30 है0 की मेर पर से विगत 40 वर्षों से आते जाते रहे है किन्तु उक्त रास्ते को विपक्षीगण द्वाराकांटों की बाड़ लगाकर बंद कर दिये जाने से रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, उसी अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जावे। प्रार्थीगण डीएलसी अनुसार रास्ते की राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर रास्ते का आदेश करते हुए राजस्व नक्शे एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश बक्षावें।

बहस पर मनन, प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक ढीकोला की मौका रिपोर्ट अनुसार प्राथीगण की आराजी 3824 पर पहुंच हेतु आराजी नम्बर 3830, 3826 में से रास्ता दिया जाना उचित उचित बताया है। एवं प्रस्तावित रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैल्पिक सुगम रास्ता नहीं होना बताया है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

अतः भू0अ0निरीक्षक मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर पहुंच हेतु निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	आराजी नम्बर	कुल रकबा है0 में	रास्ते हेतु वांछित भूमि ल. × चौ. वर्ग मीटर में	रकबा है0 में	डीएलसी अनुसार भूमि की मालियत को रास्ते हेतु दुगना करने पर राशि
1.	अमीरदीन पिता अहमद 1/3, अल्लादीन पिता अहमद 1/3, मोजूदीन पिता अहमद 1/3 जाति मुसलमान निवासी ढीकोला	3826 3830	0.32 0.30	74 × 6 38 × 6	0.0444 0.0228	33927.00 17422.00
कुल					**0.0672**	**51349.00**

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ढीकोला प0म0 ढीकोला तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी 3824 तक पहुंचने हेतु विपक्षीगण सं0 01 लगायत 03 की आराजी सं0 3826 रकबा 0.32 है0 में से 74 मीटर लम्बा × 6 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.0444 है0 भूमि एवं आराजी नम्बर 3830 रकबा 0.30 है0 में से 38 मीटर लम्बा × 6 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.0228 है0 भूमि की आवश्यकता होगी। उक्त भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की दुगनी राशि 51349/– रूपये संबंधित काश्तकार को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 03.01.2023 सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रास्ते हेतु वांछित भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की दुगनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षीगण 1 लगायत 3 को भुगतान करने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम की कार्यवाही करें।

संलग्न :– नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.